संख्याः ई–8–1266 / दस–2013–89 / 2004

प्रेषक,

मुकेश मित्तल,
सचिव,
वित्त विभाग।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–8 लखनऊ दिनांक : 10 सितम्बर, 2013

विषयः आवासीय एवं अनावासीय भवनों का मानकीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आवासीय एवं अनावासीय भवनों का मानकीकरण किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–ई–8–305 / दस–2006, दिनांक 02 मार्च, 2006 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यह निर्देश निर्गत किये गये थे कि सभी सम्बन्धित विभाग अपने विभाग से सम्बन्धित भवनों के मानकीकरण का कार्य शीघ्रता से पूर्ण करेंगे। इस हेतु प्रशासनिक विभाग अपने स्तर से भवनों की डिजाइन तैयार करायेंगे तथा उस पर प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग की सहमति प्राप्त करने के उपरान्त व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त करेंगे। भवनों के मानकीकरण के उपरान्त उनकी लागत शेड्यूल आफ रेट्स के बदलने पर स्वतः पुनरीक्षित मानी जायेगी। जिन भवनों के मानक पूर्व से निर्धारित हैं, उनके सम्बन्ध में भी आवश्यकतानुसार पुनरीक्षित करते हुए व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

2. उक्त शासनादेश के इस उल्लेख कि "**भवनों के मानकीकरण के उपरान्त उनकी लागत शेड्यूल आफ रेट्स के बदलने पर स्वतः पुनरीक्षित मानी जायेगी। जिन भवनों के मानक पूर्व से निर्धारित हैं, उनके सम्बन्ध में भी आवश्यकतानुसार पुनरीक्षित करते हुए व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा**", के सम्बन्ध में व्यवस्था को स्पष्ट किया जाना आवश्यक पाया गया।

---2

3. इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि मानकीकृत भवनों के मानचित्र एवं मात्रा में कोई वृद्धि/परिवर्तन नहीं होता है, मात्र शेड्यूल ऑफ रेट्स बदलने के कारण मूल स्वीकृत लागत में वृद्धि होती है, तो ऐसे आगणनों का परीक्षण प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग से कराकर नियमानुसार वित्तीय स्वीकृति हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी। ऐसे प्रकरणों में पुनः व्यय वित्त समिति के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

4. उक्त शासनादेश दिनांक 02 मार्च, 2006 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

मुकेश मित्तल
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : ई–8–1266(1)/दस–2013– तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(2) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(3) प्रबन्ध निदेशक, कान्स्ट्रक्शन एण्ड सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
(4) मुख्य अभियन्ता एवं निदेशक, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(6) आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
(7) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 लखनऊ।
(8) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 विधायन एंव निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड), लखनऊ।
(9) निदेशक, प्रायोजना रचना एंव मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
(10) वित्त विभाग के समस्त अधिकारी एवं समस्त वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग।
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0एल0 श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।